मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

1. भंवरलाल पिता शम्भुलाल जाति नायक उम्र 65 निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)**वादीगण**

बनाम

1. कालुराम पिता नारू जाति जीनगर उम्र 66 साल निवासी पहूँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ (राज0)
2. रतनलाल पिता नारूलाल जाति जीनगर उम्र 60 निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ (राज0)
3. तहसीलदार राशमी जिला चित्तौडगढ।

प्रतिवादीगण

<u>-:: वाद पत्र बाबत खातेदारी अधिकार की घोषणा, दुरस्ती इन्द्राज,स्थाई निषेधाज्ञा ::-</u>

<u>प्रकरण संख्या :- 12/2020</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरू श्री पीएस चौहान अधिवक्ता वादी श्री शिवराज सिंह चौहान अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा पहुँना पटवार हल्का पहुँना की आराजीयात संख्या 534 रकबा 2-04 मे से 1560/33105.6 वर्गफीट भंवरलाल पिता शम्भुलाल जाति नायक निवासी रामथली को हक हिस्से का एवं15772.8/33105.6 वर्गफीट कृषि भूमि का व आबादी भूमि मे2613.6/5227.2 वर्गफीट का कालुराम पिता नारू जाति जीनगर, 15772.8/33105.6 वर्गफीट कृषि भूमि का व आबादी भूमि मे 2613.6/5227.2 वर्ग फीट का रतनलाल पिता नारू जीनगर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा करवाये गये विभाजन वादी के मुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य होकर के बेअसर प्रभावहिन है। तद्नुसार जमाबंदी में पृथक-पृथक अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय सरे इजलास में लिखाया जाकर आज दिनांक **<u>27.02.2020</u>** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिह)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(दिलीप सिह)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2020.03.23 14:02:16 IST
Reason: SelfAttested